न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 28/2026

राजस्थान सरकार जरिये अनिल कुमार, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.स.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अजमेर, जिला अजमेर ..... **प्रार्थी**

बनाम

1. मैसर्स ग्रीन एग्रो इन्डस्ट्रीज, खसरा नं0 371, ग्राम व थाना बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
2. श्री राजाराम अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारीलाल एवं उसके सहभागीदार

.....**अप्रार्थीगण**

उपस्थित :–

1 श्री अनिल कुमार उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.स.) **पैरोकार सरकार**
2 श्री राजाराम अग्रवाल पुत्र गिरधारीलाल **अप्रार्थी सं. 01 व 02**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने बाबत्।

आदेश

दिनांक– 13.05.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि अजमेर जिले के किशनगढ क्षेत्र में बनाये जा रहे नकली खाद/उर्वरक के सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के आधार पर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर के कार्यालय आदेश पत्रांक 1037–41 दिनांक 29.05.2025 के द्वारा गठित कमेटी की अनुपालना में फर्म ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 371 ग्राम व थाना बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर की शिकायत के आधार पर एक जांच दल बनाया जाकर दिनांक 30.05.2025 को मैसर्स ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 371 ग्राम व थाना बान्दरसिन्दरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज के निर्माण/विक्रय/भण्डार परिसर में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन पाया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (1) डी के तहत दिनांक 30.05.2025 को फर्म के परिसर में उर्वरको की जब्ती कार्यवाही की गई। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अजमेर जिले के किशनगढ क्षेत्र में बनाये जा रहे नकली खाद/उर्वरक के सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत के आधार पर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर के कार्यालय आदेश पत्रांक 1037–41 दिनांक 29.05.2025 के द्वारा गठित कमेटी की अनुपालना में फर्म ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 371 ग्राम व थाना बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ

जिला कलक्टर
अजमेर

जिला अजमेर की शिकायत के आधार पर एक जांच दल बनाया जाकर दिनांक 30.05.2025 को सांयकाल लगभग 6.15 मैसर्स ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 371 ग्राम व थाना बान्दरसिन्दरी का निरीक्षण किया गया। उक्त फर्म के निरीक्षण के समय फर्म मालिक श्री राजाराम अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारीलाल, एवं उसके सहभागीदारो में से कोई भी उपस्थित नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज के निर्माण/विक्रय/भण्डार परिसर में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन पाया गया। संदेह होने पर गहनता से जांच की गई फर्म के गोदाम में पाये गये उर्वरक के बहुत से बैगो पर ब्रान्ड, फर्म का नाम, लॉट नम्बर, बैच नम्बर का अंकन नहीं पाया गया। फर्म के गोदाम में बड़ी मात्रा में मार्बल स्लरी पायी गई जिसे उर्वरक निर्माण करने हेतु कच्चा माल बताया गया। फर्म में उर्वरक निर्माण हेतु कच्चे माल एवं तैयार उर्वरक के क्रय एवं विक्रय से सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड फर्म के प्रतिनिधियो द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उर्वरक निर्माण हेतु कच्चे माल एवं तैयार उर्वरक के प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट का संधारण किया जाना भी नहीं पाया गया। अतः उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 का उल्लंघन कर क्षेत्र के किसानो के साथ धोखाधड़ी किया जाना पाया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (1) डी के तहत दिनांक 30.05.2025 को फर्म के परिसर में उर्वरको की जब्ती कार्यवाही की गई जब्त उर्वरको के जांच हेतु नमूने लिए गए। सुरक्षा की दृष्टि से उर्वरको को फर्म के परिसर में ही सीज किया गया। मौके पर जब्त उर्वरको का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	जब्त उत्पाद का नाम/ब्रांड	बैच नम्बर/लॉट नम्बर	उत्पादनकर्ता फर्म का नाम	जब्तशुदा मात्रा
1	Sangam Potash	2024/25001	Green Agro.Industries	90 Bags
2	Sangam Prom	07	Green Agro.Industries	4250 Bags
3	Phosphogypsum	06	Green Agro.Industries	9798 Bags
4	Careerbased Consortia	18	Green Agro.Industries	198 Bags
5	Cms	01	Green Agro.Industries	200 Bags
6	Unmarked Bags	—	Green Agro.Industries	8955 Bags

जब्त उर्वरको को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु मौके पर उपस्थित फर्म प्रतिनिधी श्री आशीष साहू पुत्र श्री शिवप्रकाश तैली को उक्त जब्त उर्वरको को सुपुर्द कर खुर्द–बुर्द नहीं करने की हिदायत देते हुए शपथ पत्र लिया गया। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19, का उल्लंघन पाया जाने के कारण श्री राजाराम अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारीलाल एवं उसके सहभागीदारो के विरूद्व पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी, किशनगढ अजमेर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जब्त उर्वरको से आहरित किये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु इन्हे अधिसूचित राजकीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर को भेजा गया। राजकीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर की विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा उक्त उर्वरक नमूनो को अमानक पाया गया। फर्म द्वारा अमानक तथा अनुज्ञापत्र में दर्ज उर्वरको से भिन्न उर्वरक का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करना पाया गया जो कि उर्वरक नियंत्रण

जिला कलक्टर
अजमेर

आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 की स्पष्ट उल्लंघन है एवं दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त जब्तशुदा उर्वरक काफी लम्बे समय से फर्म प्रतिनिधियो को सुरक्षित अभिरक्षा में फर्म परिसर में ही सीज है। जब्त उर्वरक प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट में अमानक पाये गये है। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत राजसात कर नियमानुसार निस्तारण कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त जब्तशुदा माल निर्माण प्रक्रिया अधीन अर्द्धनिर्मित माल था तथा विक्रय हेतु तैयार माल नहीं था। उपरोक्त माल हमारे को जिन माल को बनाने एवं अनुज्ञा प्राप्त थी उसी क्वालिटी के थें। उपरोक्त माल में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई एवं क्रम सं. 05 पर अंकित माल तो नॉन एफ.सी.ओ. प्रोडक्ट था जो अधिनियम के तहत जब्त ही नहीं किया जा सकता है फिर भी जब्त किया गया जो नियमानुसार गलत हैं। यह कि क्रम सं. 01 पर अंकित सामग्री में जब्तशुदा सामग्री की मात्रा प्रार्थी द्वारा 908 बतलाई गई है जबकि उक्त जब्तशुदा मात्रा 90 बैग है जो स्वयं प्रार्थी के इस्तगासे के पेज सं. 11 से सिद्ध होता हैं। राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर की कॉलम संख्या 04 में अंकित रिर्पोट दिनांक अनुसार उपरोक्त माल का क्रम संख्या 01, 03, 04, 06 अमानक घोषित किया गया हैं एवं क्रमांक 02 पर अंकित प्रोम को पहली रिपोर्ट में अमानक एवं उसके पश्चात् एन.टी.एच. से रीटेस्ट दिनांक 12.09.2025 में मानक घोषित किया गया हैं। क्रम संख्या 05 पर अंकित जब्तशुदा माल राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा की रिपोर्ट 25.06.2026 अनुसार नॉन एफ.सी.ओ. प्रोडक्ट है जिसे अधिनियम के तहत जब्त नहीं जा सकता हैं। जो माल मुझ अप्रार्थी की फर्म से जब्त किया गया उसके सन्दर्भ में फर्म को Department Of Agriculture (Government of Rajasthan) द्वारा जारी उर्वरक वितरण, विक्रय एवं भण्डारण प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3648 दिनांक 27.02.2024 एवं वैधता दिनांक 25.02.2029 द्वारा उर्वरकों के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण के लिए अधिकृत किया गया हैं। उक्त कार्यवाही पश्चात् अप्रार्थी की फर्म सीज हो चुकी है जिससे जीवन–यापन करना मुश्किल हो चुका हैं। जिसका सीधा असर मुझ अप्रार्थी एवं उसके परिवार की जीविका पर पड़ रहा हैं। यह कि अप्रार्थी फर्म का कभी भी कृषको से धोखाधड़ी का उद्देश्य नहीं रहा बल्कि सदैव कृषको की मदद ही रहा हैं, राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट के निष्कर्ष तकनीकी आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रार्थी ने हमेशा गुणवक्तापूर्ण सामग्री के वितरण का प्रयास किया हैं। उक्त माल समय की प्रकृति से क्षरण एवं वर्षा जनित पानी के कारण नष्ट हो चुका है और काम में लेने योग्य नहीं रहा हैं। अतः जब्तशुदा माल माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त करना उचित समझे तो मुझ अप्रार्थी फर्म को कोई आपत्ति नहीं हैं। ताकि मूल 6 ए प्रकरण का निस्तारण हो सकें। अतः जवाब स्वीकार कर उक्त प्रकरण को निस्तारण कर प्रार्थी की फर्म को अनसीज करने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अजमेर जिले के किशनगढ क्षेत्र में बनाये जा रहे नकली खाद/उर्वरक के सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के आधार पर संयुक्त

जिला कलक्टर
अजमेर

निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर के कार्यालय आदेश पत्रांक 1037–41 दिनांक 29.05.2025 के द्वारा गठित कमेटी की अनुपालना में फर्म ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 371 ग्राम व थाना बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर की शिकायत के आधार पर एक जांच दल बनाया जाकर दिनांक 30.05.2025 को सांयकाल लगभग 6.15 मैसर्स ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 371 ग्राम व थाना बान्दरसिन्दरी का निरीक्षण जांच दल द्वारा किया गया। उक्त फर्म के निरीक्षण के समय फर्म मालिक श्री राजाराम अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारीलाल, एवं उसके सहभागीदारो में से कोई भी उपस्थित नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स ग्रीन एग्रो इण्डस्ट्रीज के निर्माण/विक्रय/भण्डार परिसर में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन पाया गया। संदेह होने पर गहनता से जांच की गई फर्म के गोदाम में पाये गये उर्वरक के बहुत से बैगो पर ब्रान्ड, फर्म का नाम, लॉट नम्बर, बैच नम्बर का अंकन नहीं पाया गया। फर्म में उर्वरक निर्माण हेतु कच्चे माल एवं तैयार उर्वरक के क्रय एवं विक्रय से सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड फर्म के प्रतिनिधियो द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उर्वरक निर्माण हेतु कच्चे माल एवं तैयार उर्वरक के प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट का संधारण किया जाना भी नहीं पाया गया। अतः उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 का उल्लंघन होना पाया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (1) डी के तहत दिनांक 30.05.2025 को फर्म के परिसर में उर्वरको की जब्ती कार्यवाही की गई जब्त उर्वरको के जांच हेतु नमूने लिए गए। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19, का उल्लंघन पाया जाने के कारण श्री राजाराम अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारीलाल एवं उनके सहभागीदारो के विरूद्व पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी, किशनगढ अजमेर में एक प्राथमिकी 0075 दिनांक 01.06.2025 दर्ज कराई गई। जब्त उर्वरको से आहरित किये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु इन्हे अधिसूचित राजकीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर में भेजे जाने पर विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा उक्त उर्वरक नमूनो को अमानक पाया गया। फर्म द्वारा अमानक तथा अनुज्ञापत्र में दर्ज उर्वरको से भिन्न उर्वरक का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करना पाया गया जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 की स्पष्ट उल्लंघन है एवं दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब/दौराने बहस में भी जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने का कथन किया हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा उर्वरक Sangam Potash के 90 बैग, Sangam PROM के 4250 बैग, Phosphogypsum के 9798 बैग, Careerbased Consortia के 198 बैग, CMS के 200 बैग, Unmarked Bags के 8955 बैग को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), अजमेर जिला अजमेर उक्त जब्तशुदा उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर